"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च 2023 — फाल्गुन 10, शक 1944

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–3/2023/वा.कर(आब.)/पांच (02).– छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) (ड.), (च), (छ.) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. उक्त नियमों –

(1) नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड ''(ख)'' के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड ''(ख)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् –

''(ख) आबकारी आयुक्त द्वारा, यथापूर्वोक्त प्ररूप सी.एस.–1 में एक वर्ष की अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिये प्रति भण्डारण भाण्डागार पचास हजार रुपये की दर से फीस की रकम का अग्रिम भुगतान कर दिया जाने पर, अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी, जो अधिनियम की उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को सम्यक् रूप से पालन किए जाने के अध्यधीन रहते हुए विहित फीस का संदाय किए जाने पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत की जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के सम्यक् रूप से अनुपालन के लिए प्रति भण्डारण भाण्डागार प्रतिभूति के रूप में न्यूनतम पांच लाख रुपये की अतिरिक्त रकम नगद में या किसी अन्य रूप में जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दें जमा करें, आबकारी आयुक्त शर्तों के भंग की पुनरावृत्ति होने की परिस्थितियों में या भण्डारण भाण्डागार में वृद्धि होने पर, जब भी आवश्यक समझे, पच्चीस लाख रुपयों से अनाधिक अतिरिक्त राशि प्रतिभूति रकम के रूप में मांग सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश का उसे उसकी संसूचना के पन्द्रह दिन के भीतर अनुपालन करेगा।''

(2) नियम 3 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 के उपनियम (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(4) प्रदायकर्ता को संदत्त किये जाने वाले देशी मदिरा के लागत मूल्य का विनिश्चय निविदा प्रक्रिया द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे। देशी

मदिरा मसाला के लिये निर्धारित तेजी 25.0 यू. पी. एवं देशी मदिरा प्लेन के लिये निर्धारित तेजी 50.0 यू. पी. के ब्राण्ड/लेबल मदिरा का विनिर्माण आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित, अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में उपबंधित रीति के अनुसार किया जायेगा और फुटकर अनुज्ञप्तिधारी अवधारित दर के अनुसार संदाय करेगा।''

(3) नियम 4 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(1) देशी स्पिरिट अच्छी गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा ऐसे विनिर्देश की होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए। वह रासायनिक विश्लेषण के अध्यधीन होगी, इस हेतु प्रत्येक बैच के तीन नमूने (सेम्पल) एक माह तक रखा जाना अनिवार्य होगा। यदि वह मानवीय उपभोग के लिए उपमानक स्तर का या अनुपयुक्त पाया जाए, तो आबकारी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के अधीन उसे यथास्थिति पुनः आसवित किया जायेगा या प्रतिक्षेपित और नष्ट कर दिया जायेगा। भाण्डागार अधिकारी, ऐसे देशी स्पिरिट का, जिसे वह त्रुटि पूर्ण समझता है, आबकारी आयुक्त के आदेश होने तक प्रदाय किया जाना रोक सकेगा और प्रत्येक ऐसे अवसर पर बिना किसी विलम्ब के अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर रासायनिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिये भेजने हेतु ऐसी देशी स्पिरिट के नमूने ले सकेगा।''

(4) नियम 4 के उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(3) आबकारी आयुक्त किसी भण्डारण भाण्डागार को बन्द कर सकेगा या अनुज्ञप्तिधारी (सी.एस. 1–ग) से किसी भाण्डागार या भाण्डागारों को खोलने और चालू करने की अपेक्षा कर सकेगा। इसी प्रकार, राज्य के नवीन भण्डारण भाण्डागार को अनुसूची में जोड़ा जा सकेगा और प्रदायकर्ता इकाई (सी.एस.–1) को ऐसे नवीन भण्डारण भाण्डागार को देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों में मास्टर कार्टन पैक में स्वीकृत दर में प्रदाय करना होगा। इस हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने की कार्यवाही प्रदायकर्ता इकाई द्वारा की जानी होगी। प्रदायकर्ता इकाई (सी.एस.–1) उपरोक्त परिवर्तनों के कारण सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय मूल्य में कोई वृद्धि करने का हकदार नहीं होगा और न ही प्रदायकर्ता इकाई उसे प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति के किसी शर्त के शिथलीकरण का हकदार होगा।''

(5) नियम 4 के उप–नियम (6) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(6) सादे स्पिरिट का सम्मिश्रण या शक्ति कम करना भण्डार–कुण्डों में अनुज्ञात किया जा सकेगा बशर्ते यह सम्मिश्रण या शक्ति कम करना भाण्डागार अधिकारी की उपस्थिति में तथा उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जाए। शक्ति कम करने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला पेय जल शुद्ध होना चाहिए तथा पेय जल मृदु करने के पश्चात् उपयोग में लाया जावेगा। जिसका प्रमाणीकरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एसेन्स, खाद्य रंग, पानी या अन्य किसी सामग्री के संबंध में विनिर्माण भाण्डागार अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।''

(6) नियम 4 के उप–नियम (12) के खण्ड (ख),(घ),(ड.),(च) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (12) के खण्ड ''(ख)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(ख) नामपत्रों (लेबल्स) का रजिस्ट्रीकरण– (1) कोई भी देशी मदिरा छत्तीसगढ़ में परिवहित नहीं की जाएगी, आयात नहीं की जाएगी या राज्य से निर्यात नहीं की जावेगी और विक्रय नहीं की जावेगी, जब तक कि देशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए जाने वाले नामपत्रों पर निम्नलिखित उपाख्यान और ब्यौरे मुद्रित न किए गए हों–

(क) "मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।''

(ख) यथास्थिति ''केवल छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु'' अथवा ''छत्तीसगढ़ में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।''

(ग) बैच क्रमांक, विनिर्माण की तारीख, माह और वर्ष।

(घ) आसवनी, विनिर्माण इकाई, या बोतल भराई की इकाई का नाम और स्थान।

(ङ) मद्यसार (अल्कोहल) की मात्रा और प्रूफ शक्ति (स्ट्रेन्थ)।

(च) ब्राण्ड/नामपत्र(लेबल) का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, नाम एवं समाविष्ट मात्रा।

(छ) देशी मदिरा के नामपत्रों में बार कोडिंग।

(ज) प्रत्येक पैकेज के ऊपर किसी शिकायत के सन्दर्भ में सम्पर्क स्थापित करने के लिए नामपत्रों (लेबलों) में पता, टेलीफोन नं., ई–मेल पता भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

(झ) निर्धारित फुटकर विक्रय दर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों अनुसार ब्यौरे मुद्रित किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) आबकारी आयुक्त द्वारा उपनियम (3) और (4) के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई देशी मदिरा की केवल ऐसी बोतलें छत्तीसगढ़ में विक्रय, परिवहित, आयात या छत्तीसगढ़ से निर्यात की जाएगी, जिनके नामपत्र पर उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट उपाख्यान/ब्यौरे दर्शाए गए होंगे,

परन्तु प्रत्येक विनिर्माता इकाई के लिए उसके द्वारा पंजीकृत लेबल को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व नवकृत कराना अनिवार्य होगा। प्रति नामपत्र/नामपत्रों के लिए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ऐसा रहेगा जैसा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जावे। बिना पंजीकृत एवं नवीनीकरण कराये गये लेबल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। लेबल (नाम पत्र) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/आंशिक परिवर्तन (मोडिफिकेशन) आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जावेगी, जैसा कि नवीन लेबल पंजीयन हेतु नियत है। यदि कोई नामपत्र/नामपत्रों को आबकारी आयुक्त द्वारा उप नियम (6) के अन्तर्गत इस आधार पर निरस्त किया जाता है कि उससे शासन को राजस्व की क्षति हुई है अथवा हो रही है तो ऐसे नामपत्र/नामपत्रों के स्वामी को रद्दकरण के दिनांक से आगामी एक वर्ष की अवधि तक कोई नवीन लेबल भी पंजीकृत कराने की पात्रता नहीं रहेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारक प्रत्येक प्रकार के नामपत्र/नामपत्रों के पंजीकरण /नवीनीकरण/परिवर्तन /आंशिक परिवर्तन (मोडिफिकेशन) के लिए विहित की गई दर से फीस के साथ आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण करने के लिए नामपत्र की 3 मुद्रित प्रतियां, जिले के कोषालय में भुगतान के प्रमाण स्वरूप विहित पंजीकरण फीस का चालान संलग्न किया जावेगा। उप–नियम 1 में वर्णित किये गये ब्यौरे नामपत्र/लेबल के प्रारूप (फार्मेट) में सम्मिलित होंगे। नामपत्र के नवीनीकरण के लिए, नामपत्र के पंजीकरण तथा पूर्व वर्षों में नवीनीकरण का उल्लेख तथा विहित फीस का चालान संलग्न किया जाकर आवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा।

(4) उपनियम (3) के अनुसार, किसी देशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाई द्वारा देशी मदिरा के नामपत्र/नामपत्रों के पंजीकरण करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन किये जाने पर, उसके द्वारा आवेदन के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रस्तुत नामपत्र को तीन मुद्रित प्रतियों में से एक प्रति का प्रकाशन, आबकारी आयुक्त के कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाकर, देशी मदिरा के अन्य विनिर्माता इकाईयों से 05 कार्यदिवस के भीतर आपत्तियाँ आमंत्रित की जावेंगी तथा समयावधि के भीतर आपत्तियाँ प्राप्त न होने की दशा में और अन्य जांच से यह समाधान होने पर कि उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट पूर्व अध्यपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है और ऐसे पंजीकरण में कोई आपत्ति नहीं है तो आबकारी आयुक्त द्वारा उसका पंजीकरण किया जा सकेगा। नामपत्र (लेबल) का पंजीकरण और पंजीकरण क्रमांक दर्शाने वाले आदेश की एक प्रति आवेदक को दी जाएगी। ऐसे नामपत्र (लेबल) जो किसी अन्य विनिर्माता इकाई के प्रचलित लेबल के सदृश्य या समानता रखते हों, तो उस लेबल का पंजीकरण नहीं किया जावेगा।

(5) उपनियम (1) में यथापूर्वोक्त नामपत्र (लेबल) पर अश्लील दिखने वाली या किसी विशिष्ट वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचाने वाली या किसी समूह, समुदाय या संस्था की संवेदनाओं तथा मान संबंधी रोषकारक कोई आकृति, प्रतीक, चित्र, अधिकार चिह्न आदि नहीं होंगे। ऐसे किसी विवाद की दशा में कि कोई नामपत्र अश्लील, रोषकारी या अपहृतिकारक हो, तो मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस संबन्ध में उसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(6) आबकारी आयुक्त, यदि किसी ऐसे पंजीकृत नामपत्र (लेबल) के अधीन विक्रय की गई मदिरा अवमानक स्तर की पाई जाए या उसका यह विश्वास होने पर कि उक्त लेबल के अधीन विक्रय से राज्य सरकार को वित्तीय हानि कारित होती है या यदि वह संतुष्ट हो

जाए कि लेबल अश्लील, आहतकारक या अपहृतिकारक हैं, तो वह उपनियम (4) के अधीन किए गए नामपत्र के पंजीकरण को रद्द करने के आदेश कर सकेगा, तथापि, ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व वह प्रभावित अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देगा। आबकारी आयुक्त, ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप, किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित रद्द नामपत्र (लेबल) के स्टॉक के निपटारे के संबंध में समुचित आदेश भी पारित कर सकेगा और राज्य सरकार, अनुज्ञप्तिधारक को किसी हानि या नुकसान के लिए कोई प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं होगा। ''इसी प्रकार लेबल नवीनीकरण न होने की दशा में स्टाक के निपटारे तथा अनुज्ञप्तिधारी की किसी हानि/नुकसान के लिए वहीं व्यवस्था प्रभावशील रहेगी जो नामपत्र/लेबल के रद्दकरण के परिणामस्वरूप प्रभावशील है।''

(7) नियम 4 के उप–नियम (13) के पश्चात् नवीन उप–नियम (14) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(14) देशी शराब के निर्माण तथा भराई के समय खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा भारतीय मानक ब्यौरे (BIS) द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।''

(8) नियम 5 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड ''(क)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(क) अनुज्ञप्तिधारी/फुटकर विक्रेता द्वारा मांग किये जाने और उसके लिये देय शुल्क खजाने में संदाय किये जाने के सबूत पर अच्छी क्वालिटी के पेय स्पिरिट का प्रदाय ऐसी मात्रा में तथा ऐसी विहित शक्ति पर जैसा कि अपेक्षित हो फुटकर विक्रेता को करेगा।''

(9) नियम 5 के उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (2) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(2) अनुज्ञप्तिधारी के किसी भी भण्डारण भाण्डागार से फुटकर विक्रेताओं को प्रदाय की गई देशी स्पिरिट के लिये फुटकर विक्रेताओं से देय शुल्क ऐसा होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे तथा राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस प्रकार अवधारित दरों में अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान के किसी भी समय और समय–समय पर परिवर्तन करे तथा कोई भी फुटकर अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐसे परिवर्तन के आदेश के कारण किसी रियायत, प्रतिकर या छूट का हकदार नहीं होगा।''

(10) नियम 5 के उप–नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड ''(क)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(क) सी.एस.–1, अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण भाण्डागार से देशी स्पिरिट के निर्गमन के 10 दिवस पश्चात् फुटकर विक्रेताओं से प्रदाय दर अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।''

(11) नियम 5 के उप–नियम (3) के खण्ड (ख) को विलोपित किया जावे।

(12) नियम 5 के उप–नियम (4) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड ''(क)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(क) यदि राज्य की समस्त प्रदायकर्ता इकाईयॉ मांग अनुसार मदिरा प्रदाय करने में असफल होती है, तो ऐसी परिस्थिति में असफल प्रदायकर्ता इकाईयों के समान जोखिम एवं लागत पर आबकारी आयुक्त राज्य के बाहर की किसी भी इकाई से मदिरा की आपूर्ति करा सकेंगे।''

(13) नियम 5 के उप–नियम (4) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड ''(ख)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(ख) ऐसी असफलता रहने की दशा में, आबकारी आयुक्त, अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य भाण्डागार या भाण्डागारों से मदिरा का स्थानांतरण कर आपूर्ति सुनिश्चित करा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी छूट, प्रतिकर या किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होगा।''

(14) नियम 5 के उप–नियम (4) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड ''(ग)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(ग) विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाई द्वारा फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार देशी स्पिरिट का प्रदाय करने में असफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी हानियों तथा क्षतियों का संदाय जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए, फुटकर विक्रेताओं तथा सरकार को करें। आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम तथा अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा।''

(15) नियम 5 के उप–नियम (4) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड ''(घ)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(घ) फुटकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षा करने पर, आबकारी आयुक्त द्वारा या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर डी.–1, या सी. एस. 1ख अनुज्ञप्तिधारी स्पिरिट और/या सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की ऐसी मात्रा जैसी कि अपेक्षित की जाए, राज्य के किसी भी भाण्डागार को तत्काल प्रेषित करेगा।''

(16) नियम 5 के उप–नियम (4) के खण्ड (घ) के पश्चात् नवीन खण्ड (ड.) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(ड.) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर (सी.एस.–1ख) को अनिवार्य रूप से सी.सी.टी. वी. कैमरे की निगरानी में रखा जाना होगा।''

(17) प्ररूप सी.एस.1 में विद्यमान शीर्षक के पश्चात् एवं शर्ते के पूर्व पर निम्नानुसार शब्द एवं अंक समूह प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''यह अनुज्ञप्ति श्री/मेसर्स ..... को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 13, 14, 15 तथा 28 के अधीन और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकृति के अनुसरण में इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में वर्णित भण्डारण–भाण्डागार ..... से संबंध में ..... से ..... तक की कालावधि के लिये मंजूर की जाती है''

(18) प्ररूप सी.एस.1 की शर्त क्रमांक ''1(क)'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''1(क)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''1(क) अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों का पालन करेगा''

(19) प्ररूप सी.एस.1 की शर्त क्रमांक ''1(ख)'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''1(ख)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''1(ख) अनुज्ञप्तिधारक, (देशी मदिरा प्रदायकर्त्ता, सी.एस.1 लायसेंसी), आबकारी आयुक्त, सी.एस.1–ग अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय–समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों से आबद्ध रहेगा''

(20) प्ररूप सी.एस.1 की शर्त क्रमांक ''2'' में शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की देशी मदिरा को तैयार करने के लिए केवल ऐसे एसेन्स और खाद्य रंगों का उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों'' के पश्चात् शब्द समूह ''तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानक स्तर के हो।'' अंतःस्थापित किया जावे।

(21) प्ररूप सी.एस.1–ख की शर्त क्रमांक ''2'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''2'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''2 अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों का पालन करेगा।''

(22) प्ररूप सी.एस.1–ख की शर्त क्रमांक ''3'' में शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, देशी मदिरा को तैयार करने के लिए केवल ऐसे एसेन्स और खाद्य रंगों का उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों'' के पश्चात् शब्द समूह ''तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानक स्तर के हो।'' अंतःस्थापित किया जावे।

(23) प्ररूप सी.एस.1–ख की शर्त क्रमांक ''4'' के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक ''4–क'' एवं ''4–ख'' अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''4–क अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में स्वच्छता रखना होगा एवं परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।''

''4–ख अनुज्ञप्तिधारी को अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और प्रत्येक बॉटलिंग इकाई में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।''

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.